[2019] 15 एस. सी. आर 990

बिहार और ओआरएस का राज्य।

वी.

देवेन्द्र शर्मा

(2019 की सिविल अपील No.7879)

अक्टूबर 17,2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सेवा कानूनः नियुक्तियाँ-अवैध नियुक्तियाँ वेतन की पात्रता या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकार-आयोजित किए गएः वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार लोक सेवा में पूरी तरह से वैधानिक प्रकृति के हैं-ये

अधिकार, पद पर वैध और कानूनी नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं-एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति ही अवैध है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकारों के लिए कोई वैधानिक पात्रता उत्पन्न नहीं हो सकती है-तथ्यों पर, सरकार में स्वास्थ्य विभाग में द्वितीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों के खिलाफ नियुक्तियों से संबंधित मामले जिसमें समिति की रिपोर्ट में नियुक्तियों को अनियमित नियुक्तियां, अवैध नियुक्तियां और जाली पत्रों पर नियुक्तियां और उनके आधार पर समाप्ति माना गया है।

जाली दस्तावेजों के आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ आदेश पारित किए गए थे और जिनकी नियुक्तियां अवैध थीं और अनियमित नियुक्तियों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी-इसके खिलाफ रिट याचिका में, कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने के निर्देश के साथ समिति की रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया था-जहां तक अनियमित नियुक्ति का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित थी

नियुक्तियाँ लेकिन अवैध नियुक्तियाँ हैं-क्योंकि ऐसी नियुक्तियाँ बिना किसी स्वीकृत पद के की गई थीं, बिना किसी विज्ञापन के सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने और सार्वजनिक रोजगार पाने का अवसर दिया गया था और भर्ती की किसी भी विधि के बिना -

नियुक्तियाँ पिछले दरवाजे से प्रविष्टियाँ थीं, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का एक कार्य और इस प्रकार किसी भी न्यायिक मानकों से अनियमित नियुक्तियाँ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से मनमाना प्रक्रिया में अवैध नियुक्तियाँ हैं-इसके अलावा, चूंकि कर्मचारी लगभग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि समाप्ति आदेश को दरकिनार करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि वे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार बन सकें।

राज्य द्वारा अपीलों को अनुमति देना और उम्मीदवारों द्वारा अपीलों को खारिज करना, न्यायालय पकड़नाः 1.1 तृतीय श्रेणी में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में कोई वैधानिक नियम नहीं है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधीन स्वास्थ्य विभाग नामक एक विभाग में विलय किया गया। यह बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक में नियुक्ति प्राधिकरण है अधीनस्थ चिकित्सा सेवा सहित विभाग में सभी राजपत्रित नियुक्तियों का सम्मान। निदेशक की सहायता के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक निदेशकों (एम. और सी. एच.) सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक अतिरिक्त निदेशक और तीन उप निदेशक होते हैं। [पैरा 24] [1010-बी-डी]

तदर्थ आधार पर श्रेणी III और IV के अस्थायी पदों पर नियुक्त कर्मचारी। इसके बाद, श्रेणी III और IV पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अलग-अलग परिपत्र जारी किए गए। 3 दिसंबर, 1980। इसी तरह के संबंध में परिपत्र है

चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति। 20 जनवरी, 1992 को राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में एक परिपत्र जारी किया और यह निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर कर्मचारियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि जहां तक संभव हो स्थानांतरण और नियुक्ति अधिकारी की नियुक्ति के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। उपर्युक्त परिपत्रों और सरकारी आदेशों के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि श्रेणी III और श्रेणी IV की नियुक्ति प्राधिकरण

पद निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। हालांकि, कुछ अन्य प्रशासनिक मामलों के संबंध में कुछ प्रतिनिधिमंडल थे लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं था। बिहार स्वास्थ्य नियमावली के अध्याय 1 के खंड 13 (सी) के संदर्भ में सहायक निदेशक को प्रदत्त शक्तियां सहायक निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) को स्वास्थ्य सहायक और [2019] 15 एस. सी. आर. जैसे गैर-राजपत्रित महामारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार देती हैं।

स्वीकृत पदों के खिलाफ टीकाकरण करने वाले लेकिन केवल आपातकालीन स्थिति में। अश्विनी कुमार के मामले में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

2250 पदों को मंजूरी दी गई जबकि 6000 नियुक्तियां की गईं। 20-बिंदु कार्यक्रम के तहत तपेदिक उन्मूलन एक आपातकालीन गतिविधि नहीं थी जो सहायक निदेशक को बड़ी संख्या में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त बना सकती है, लेकिन फिर से ऐसी आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग केवल 20-बिंदु कार्यक्रम के तहत किया जा सकता है। स्वीकृत पदों का सम्मान। [पारस 27-29] [1012-G-H; 1014-D-E; 1015-C-E]

1.3 प्राधिकरण की नियुक्ति के संबंध में अपवाद 3 दिसंबर, 1980 के परिपत्र के साथ आया था जिसमें कहा गया था

कि उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सामान्य योग्यता सूची से आवश्यकता के अनुसार किया जाए; जिला कलेक्टर और मंडल कार्यालयों के प्रभारी समकक्ष अधिकारी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में उप निदेशक-ए. एम., नियमावली के प्रावधानों के साथ-साथ 3 दिसंबर, 1980 के परिपत्र के संदर्भ में श्रेणी III या श्रेणी IV पदों के खिलाफ नियुक्तियां करने के लिए सक्षम नहीं थे। [पैरा 30] [1015-एफ-जी]

1.4 हालांकि, कुछ नियुक्तियां सिविल सर्जन द्वारा की गई हैं जो विवादित नहीं हैं क्योंकि वे सक्षम अधिकारी थे लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि भरने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है

सार्वजनिक पद का पालन किया गया। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी स्वीकृत पद के सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां की गईं। यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ

क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा नियुक्तियां की गई हैं क्योंकि सहायक निदेशक के चार पदों को क्षेत्रीय उप निदेशक में परिवर्तित कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सहायक निदेशक का पद प्रदान किया गया था, जिसमें स्वीकृत पदों के खिलाफ आपातकालीन स्थिति को छोड़कर नियुक्ति का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं था। ऐसे क्षेत्रीय उप निदेशक को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए, सहायक निदेशक आकस्मिक मामलों को छोड़कर स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां करने में अक्षम थे और क्षेत्रीय उप निदेशक भी। [पैरा 31,32] [1015-एच; 1016-ए-सी] 1.5 2012 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 20033 से उत्पन्न सिविल अपील में, प्रतिवादी को उप निदेशक-ए. एम. द्वारा नियुक्त किया गया था।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. वी. देवेन्द्र शर्मा

इस अदालत ने अश्विनी कुमार के मामले में ऐसी नियुक्तियों को अवैध पाया है। पुनः जाँच करने का कोई कारण नहीं है नियुक्तियाँ की गईं। अश्विनी कुमार के मामले में ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। अतः प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं होगा। [पैरा 34] [1016-ई-एफ]

अश्विनी कुमार और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (1997) 2 एससीसी 1: [1996] 10 पूरक। एससीआर 120 -

संदर्भित किया गया।

1.6 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ 25 वर्षों से अधिक समय से, इसलिए,

बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि वे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार बन सकें। जहां मूल अस्तित्व में नहीं है, वहां वेतन के दावे के रूप में इसकी कोई शाखा नहीं रह सकती है। सार्वजनिक सेवा में वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार पूरी तरह से वैधानिक प्रकृति के हैं। इसलिए, वेतन के अधिकार सहित ये अधिकार पद पर एक वैध और कानूनी नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं। एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति ही अवैध है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है, तो वेतन के लिए कोई वैधानिक पात्रता या पेंशन के परिणामी अधिकार नहीं हैं।

और अन्य आर्थिक लाभ हो सकते हैं। [पारस 35,36] [1016-जी; 1017-ए-सी]

रीता मिश्रा और अन्य। वी. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार

& ओआरएस। ए. आई. आर. 1988 पटना 26-अनुमोदित।

1.7 नियुक्तियों की जाँच पाँच सदस्यीय समिति द्वारा की गई है। 91 उम्मीदवारों को अनियमित नियुक्ति का मामला पाया गया है। ऐसे उम्मीदवार जारी हैं सेवा करते हैं। तत्काल अपीलों के सेट में से कोई भी उम्मीदवार यह इंगित नहीं कर सका कि उन्हें सार्वजनिक नियुक्ति के खाली पद को भरने के लिए इस तरह से नियुक्त किया गया था, यानी विज्ञापन और

सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर देकर। [पैरा 38] [1018-बी]

1.8 यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित नियुक्तियां थीं। इस तरह की नियुक्तियां अवैध हैं।

उमा देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात के संदर्भ में नियुक्ति। चूंकि इस तरह की नियुक्तियां बिना किसी स्वीकृत पद के की गई थीं, बिना किसी विज्ञापन के अवसर दिए [2019] 15 एस।

सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने और सार्वजनिक नौकरी पाने के लिए: और भर्ती के किसी भी तरीके के बिना। इस तरह की नियुक्तियां पिछले दरवाजे से की गई प्रविष्टियां, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का एक कार्य और इस प्रकार किसी भी न्यायिक मानकों को अनियमित नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से मनमाने तरीके से अवैध नियुक्तियां हैं।

[पैरा 44] [1020-जी; 1021-ए-बी]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य। वी. उमादेवी (3) और

ओआरएस। (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एस. सी. आर. 953-पर निर्भर।

1.9 12 जुलाई, 2011 का आदेश या इसी तरह का अन्य आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा पारित कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है और,

अलग रखे जाते हैं। 24 सितंबर, 2014 के उच्च सी के क्रम में कोई त्रुटि नहीं है। [पारस 45-46] [1021-B-C]

बिहार राज्य और अन्य। वी. पुरेन्द्र सुलान किट और ओआरएस। 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन पट 290; कर्नाटक राज्य और अन्य।

वी. एम. एल. केसरी और अन्य। (2010) 9 एससीसी 247 [2010] 9

एस. सी. आर. 543; बिहार राज्य और अन्य। वी. बिनय कुमार

सिंह और ओआरएस। [2011] 3 पीएलजेआर 547; बिहार राज्य बनाम।

कीर्ति नारायण प्रसाद 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 261; राम

सेवक यादव और अन्र। वी. बिहार राज्य और अन्य 2013 लैब आईसी 1607 (एफ. बी.); रीता मिश्रा और अन्य। वी. निदेशक,

प्राथमिक शिक्षा, बिहार और अन्य। आकाशवाणी 1988 पटना 26;

ओआरएस। वी. मानशु कुंभकार (2007) 8 एससीसी 249: [2007] 9 एस. सी. आर. 1069; बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह

& ओआरएस। (2009) 5 एससीसी 65: [2009] 4 एससीआर 866; संघ

भारत और एएनआर। वी. रघुवर पाल सिंह (2018) 15 एस. सी. सी.

463 : [2018] 4 एस. सी. आर. 1012; निधि कैम और अन्र। वी. की स्थिति

मध्य प्रदेश और अन्य। (2017) 4 एससीसी 1: [2017] 2

एस. सी. आर. 527; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, खाद्य

भारतीय निगम और अन्य। वी. जगदीश बलराम बहिरा & ओआरएस। (2017) 8 एससीसी 670: [2017] 11 एससीआर 271

-

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 10 पूरक। एससीआर 120

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2010] 9 एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2011] 3 पीएलजेआर 547

संदर्भित किया गया है

बिहार और ओ. आर. एस. का पैरा 7 राज्य। वी. देवेन्द्र शर्मा

2013 लैब आईसी 1607 (एफ. बी.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

पै

रा 36

आकाशवाणी 1988 पटना 26

मंजूरी मिल गई।

[2004] 1 एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[2007] 9 एससीआर 1069

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2009] 4 एससीआर 866

पै

रा 40

संदर्भित किया गया है

[2018] 4 एससीआर 1012

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[2017] 2 एससीआर 527

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2017] 11 एससीआर 271

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

उस पर भरोसा करें

[2006] 3 एससीआर 953

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7879

2019

2010 के एल. पी. ए. सं. 1741 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

के साथ

सिविल अपील सं। 7883 , 7884 , 7880 , 7881 , 7882 , 7886 , 7885 , 7887 , 7888 , 7889 , 7890 , 7891 , 7892 , 7907 , 7893-7900 , 7901 , 7906 , 7902-7903 ,

7904 , 7905 , 7911-7913 , 7908 , 7910 , 7909 , 7611 , 7919 , 7914 , 7915-7916 , 7933 , 7932 , 7917 , 7920 , 7918 , 7921 , 7927 , 7925 , 7924 , 7922 , 7923 , 7926 , 7928 , 7929 , 7930 , 7931 , 7934 , 7935 2019 से।

आर. वेंकटरमानी, सुनील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहित कुमार शाह, अजय कुमार तलेसरा, बिपिन कुमार। झा, जमशेद बे, एकनाथ बंसल, सुश्री बंदना सिंह, रंजन मुखर्जी, अजय कुमार सिंह, गौरव अग्रवाल, संजीत के. त्रिवेदी, विपिन कुमार जय, देवाशीष भारुका, अखिलेश कुमार पांडे, अभिनव मुखर्जी, यशराज बुंदेला, प्रवीण

विग्नेश, राजीव कुमार, संजीव गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गोयल, कृष्णा एम. सिंह, शैलेश मडियाल, राजीव कुमार, संजीव गुप्ता, कार्तिक आनंद, मनु शंकर मिश्रा, अभय प्रकाश सहाय, जमनश कुमार, हिमांशु शेखर, बिनय कुमार दास, सुश्री प्रियंका दास, राम एकबल रॉय, सौरभ उपाध्याय, सुश्री आकांक्षा वर्मा, एस. के. वर्मा, नवीन प्रकाश, ए. के. यादव, जितेंद्र महापात्रा, सुश्री रूमी चंद्र, अनुज राजपूत, केदार नाथ त्रिपाठी, पहलाद सिंह शर्मा, रोहिणी प्रसाद, निशांत कुमार, नितीश शेखर, सुश्री प्रतिष्ठा विज, श्रीमती बिहू शर्मा, [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समर्थ खन्ना, कुसुम चौधरी, एन. राय, शांतनु सागर, प्रेरणा सिंह, चंदन कुमार, एस. के. पब्बी, सुश्री शिखा रॉय, रमेश तिवारी, गोपाल सिंह, शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, नवीन प्रकाश, केदार नाथ त्रिपाठी, सिमिता मुखर्जी, हितेश कुमार शर्मा, सुश्री मीनाक्षी दास, के. वी. मोहन, चंदन कुमार, ऋतुराज चौधरी, चंद्र प्रकाश, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे. 1. यह निर्णय दो का निपटारा करेगा।

6 अक्टूबर, 2009 को विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित किया गया था। द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ कुछ अन्य अपीलें भी बोर्ड पर हैं अन्य तिथियों पर उच्च न्यायालय।

2. चूंकि अपीलों में मुद्दा समान या समान तथ्यों से उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसी अपीलों को सुनवाई के लिए लिया गया है

1990 तक बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया जिसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के साथ मामलों का पहला दौर समाप्त हो गया, जिसे अश्विनी कुमार और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया था। वी. बिहार राज्य & Ors.2। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डॉ. मलिक द्वारा की गई भर्तियां 3 दिसंबर, 1980 के सरकारी आदेश के साथ-साथ 25 मार्च, 1983 के सरकारी प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मनमाना, मनमौजी, अमान्य और अमान्य थीं। यह भी माना गया कि स्वीकृत पदों के अभाव में किसी भी नियुक्त व्यक्ति को कोई अर्जित अधिकार नहीं है। यह माना गया कि पूरा अभ्यास एक अनधिकृत साहसिक कार्य के दायरे में रहा। शून्य से कुछ भी नहीं निकल सकता था। निहिलो निहिल फिट हैं। शून्य को शून्य से गुणा करने पर शून्य बना रहता है। यह आयोजित किया गया था 1 संक्षिप्त उच्च न्यायालय 2 (1997) 2 एस. सी. सी. 1 बिहार और ओ. आर. एस. राज्य के लिए।

वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

कि योजना के तहत कर्मचारियों की सेना को बंद कर दिया गया था,

स्टॉक और बैरल ताकि सरकारी प्रशासन में जनता का विश्वास टूट न जाए और मनमानी कार्रवाई पवित्र न हो। 4. इसके बाद यह बिहार और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के एक अन्य दौर में है। वी. पुरेन्द्र सुलान किट और Ors.[3] तय किया गया

लगभग 819 पेटेंट याचिकाएं और रिट याचिकाएं। उच्च न्यायालय ने देखा कि इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रवेश पिछले दरवाजे के तरीके से और कई मामलों में जाली और मनगढ़ंत नियुक्ति पत्रों के माध्यम से किया जाता था

या वास्तविक नियुक्तियों के बिना स्थानांतरण आदेशों के माध्यम से और कुछ मामलों में, नियुक्तियां प्राधिकरण द्वारा किए गए स्वीकृत पदों की उपलब्धता के बिना की गई थीं जो नियुक्त करने के लिए सक्षम नहीं थे। उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को संबंधित सामग्री के आधार पर और इस न्यायालय द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य में घोषित कानून को ध्यान में रखते हुए प्रभावित कर्मचारियों के मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया। वी. उमादेवी (3) और Ors.4। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 10. राज्य या प्रभावित कर्मचारियों द्वारा पसंद की गई सभी लेटर्स पेटेंट अपील और प्रभावित कर्मचारियों द्वारा पसंद की गई सभी रिट याचिकाओं को इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों को एक निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि वे सभी प्रभावित कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करें ताकि प्रासंगिक तथ्यों और कानून के आधार पर पता लगाया जा सके जैसा कि कर्नाटक राज्य के सचिव के मामले में संविधान पीठ द्वारा तय किया गया था। उमा देवी (ऊपर) ने कहा कि ऐसे प्रभावित कर्मचारियों में से कौन उस निर्णय के संदर्भ में नियमित करने के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 44 के संदर्भ में। इस तरह की कवायद आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी अच्छे कारण से, समय अवधि

विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है तो प्रत्यर्थी राज्य को उस उद्देश्य के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए और इस न्यायालय से विस्तार की मांग करनी चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने तक, बिहार राज्य और उसके प्राधिकरण

प्रभावित कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। यथास्थिति में संशोधन किया जाएगा

उन आदेशों द्वारा जो किए जाने वाले अभ्यास के परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों के संबंध में अधिकारियों द्वारा पारित किए जा सकते हैं

3 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 290

4 (2006) 4 एससीसी 1 [2019] 15 एस. सी. आर.

उनके द्वारा और इस निर्णय के आलोक में उनके अंतिम निर्णय और

आदेश "।

5. यह इस तरह के निर्देश के अनुसरण में है; राज्य ने व्यक्ति के मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए पांच अधिकारियों की एक समिति का गठन किया।

राज्य समिति के दो सदस्यों ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया और न ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन शेष तीन सदस्यों ने

31 दिसंबर, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रत्येक व्यक्ति के मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा गयाः

(क) जाली दस्तावेजों पर सुरक्षित रोजगार;

((ख) अवैध नियुक्तियाँ; और

(ग) अनियमित नियुक्तियाँ।

6. राज्य समिति ने अनियमित नियुक्तियों के 91 मामले पाए;

228 अवैध नियुक्ति के मामले और जाली नियुक्ति पत्र के 358 मामले। राज्य समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, जाली दस्तावेजों और अवैध नियुक्तियों पर सुरक्षित रोजगार जैसी श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों के संबंध में समाप्ति आदेश फिर से पारित किए गए, जबकि 91 उम्मीदवारों जिनकी नियुक्ति अनियमित पाई गई थी, उन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई। राज्य समिति की ऐसी रिपोर्ट के साथ-साथ समाप्ति आदेशों को अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। मुख्य मामला 2009 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 6575 है। ऐसी सभी रिट याचिकाओं को 6 अक्टूबर, 2009 को अनुमति दी गई थी, जिसके तहत 31 दिसंबर, 2008 को तीन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया था।

तीन सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार यह माना गया कि समाप्ति कर्नाटक राज्य और अन्य में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है। वी. एम. एल. केसरी और अन्य। यह पाया गया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने दस साल से अधिक समय तक काम किया है, इसलिए सेवाएँ विनियमित होने के हकदार हैं। इस तरह के फैसले को द स्टेट ऑफ बिहार एंड ओआरएस के रूप में रिपोर्ट किया गया है। वी. बिनय कुमार सिंह और Ors.7। इस न्यायालय ने कुछ की अनुमति दी है

संक्षेप में, राज्य समिति

72011 (3) पी. एल. जे. आर. 547 स्टेट ऑफ बिहार एंड ओ. आर. एस. वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

बिहार राज्य बनाम में 29 मार्च, 2011 के आदेश से उत्पन्न अपील। कीर्ति नारायण प्रसाद। इस बीच, राज्य द्वारा दायर कई अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा कई तारीखों पर खारिज कर दिया गया, जिनमें 30 जून, 2010,12 जुलाई, 2011,14 जुलाई, 2011,20 जुलाई, 2011,15 अप्रैल, 2013,30 अक्टूबर, 2013 और 30 नवंबर, 2015 शामिल हैं, जो चुनौती का विषय हैं।

वर्तमान अपीलों में। 8. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश ने 2009 के एल. पी. ए. सं. 1623 और अन्य अपीलों को भी जन्म दिया। ऐसी अपीलों की अनुमति दी गई थी।

11 फरवरी, 2010 को सहमति से, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति उदय सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति को उनकी नियुक्तियों की वैधता और सेवा में बने रहने के बारे में निर्णय लेने की दृष्टि से नियुक्ति की प्रकृति के विभिन्न तथ्यों को देखने का कार्य सौंपा गया था। तत्पश्चात, 2010 की एल. पी. ए. सं. 560 और कुछ अन्य अपीलों को 23 मार्च, 2010 को उपरोक्त एल. पी. ए. में पारित आदेश के आलोक में अनुमति दी गई, लेकिन बिना किसी सहमति के। उक्त आदेशों को 2011 की सिविल अपील और अन्य मामलों में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा 8 अगस्त, 2011 को इस आधार पर अपीलों की अनुमति दी गई थी कि सहमति के बिना, 2009 के एल. पी. ए. सं. 1623 और अन्य के संदर्भ में अपील का निपटारा नहीं किया जा सकता था।

संबंधित अपीलें। अपीलों पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डिवीजन बेंच ने 24 सितंबर, 2014 को एक आदेश पारित किया, जिसमें 6 अक्टूबर, 2009 को विद्वान एकल बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। 9. डिवीजन बेंच ने कहा कि नियुक्तियों के अवैध होने और शुरुआत से ही अमान्य होने के कारण, सेवाओं को विनियमित नहीं किया जा सकता है और

बिनय कुमार सिंह में उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय राम सेवक यादव और अन्र में पूर्ण पीठ के फैसले के विपरीत है। वी. बिहार राज्य और अन्य, जिसमें अपीलार्थियों की नियुक्ति की गई थी स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, जैसा कि वर्तमान अपीलों में है, लेकिन उनकी नियुक्तियों के अवैध होने के कारण वर्ष 2001 में उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 41. सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करने की सार्वजनिक शक्ति सार्वजनिक भलाई के लिए प्रदान की जाती है। अधिकारी को शक्ति दी जाती है।

ट्रस्ट में सरकार द्वारा चिंतित, कि इसका उपयोग किया जाएगा और दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यदि न्यास को झुठलाया जाता है, तो संरक्षण एक को प्रदान किया जाता है

8 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 261

9 2013 लैब आईसी 1607 (एफबी)

सरकारी कर्मचारी बदनाम हो जाता है। जवाबदेह और

जवाबदेही तब अधिकारी की व्यक्तिगत होती है। सरकार है।

के खिलाफ उचित नागरिक/आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कर्तव्य बाध्य अधिकारी। नियुक्ति में अवैधता एक तरफा सड़क नहीं है। अगर

वहाँ कोई नौकरी के लिए कीमत चुकाने को तैयार था, वहाँ था

एक और कीमत तय करके उसी का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह.

बिना किसी कारण के ऐसी अधिकांश नियुक्तियाँ संबंधित नहीं हैं -

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद। मानक जिसके द्वारा सरकार

कार्य करने का दावा करने वाला वही मानक है जिसके द्वारा उसके कार्य किए जाएँगे

न्याय किया। इसलिए जब भी सरकार बर्खास्त करती है

नियुक्ति अवैध होने के कारण, यह संवैधानिक कर्तव्य है सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करेगी जो

सरकार के विश्वास को झुठलाया। जो घास बनाते थे जबकि चमकीले सूरज को गहरे बादल वाले दिन भी देखने चाहिए।

XX

XX

XX

44. याचिकाकर्ताओं को एक द्वारा अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था

संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत प्रक्रिया

एक व्यक्तिगत पक्ष के रूप में प्रतिस्पर्धी चयन उन्हें दिया गया।

यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उन्हें रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था

स्वीकृत पद और उसी के लिए योग्यता रखने वाले। वे.

अदालती कार्यवाही के आधार पर अपनी स्थिति बनाए रखें और इसलिए हैं अनुच्छेद 53 के लाभों के हकदार नहीं हैं। किसी भी मुद्दे पर

जाली नियुक्ति के निष्कर्ष के लिए प्रक्रियात्मक अनियमितता है इसलिए अप्रासंगिक है। "

10. डिवीजन बेंच ने 24 सितंबर, 2014 को अपने आदेश में कहा,

उस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले को देखते हुए, अब विषय वस्तु

इन अपीलों में कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः

..... राज्य सरकार, उपरोक्त के अनुसार

ऐसा प्रतीत होता है कि निर्देश ने अपने विवेक से एक समिति का गठन किया है पाँच सदस्य। अंततः जाँच में केवल तीन सदस्य बैठे।

जाँच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हम कोई कारण नहीं देखते हैं

कर्मचारी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है साथ ही, इस न्यायालय के पास बिहार और ओ. आर. एस. पर अविश्वास करने या कहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

राज्य समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना। यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है या कम से कम यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं कि संबंधित निष्कर्ष मामले के तथ्यों पर गलत है। हमने सिविल सर्जन-सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई अवैधता की प्रकृति को घर लाने के लिए एक मामले के तथ्यों को दर्ज किया है। जैसा कि यहाँ ऊपर दर्ज किया गया है, दोहराया गया है

राज्य सरकार द्वारा की गई जाँच ऐसी सभी नियुक्तियाँ थीं अवैध पाया गया, शुरू से ही शून्य। जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष के गलत होने का कोई मजबूत सबूत नहीं है, यह न्यायालय शक्ति का प्रयोग करते हुए

न्यायिक समीक्षा इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

रिट याचिकाओं के वर्तमान सेट में, किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने अवैध नियुक्ति के निष्कर्ष को खारिज नहीं किया है या यह स्थापित नहीं किया है कि उनकी नियुक्ति सभी मामलों में कानूनी और वैध थी। हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर राज्य समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि समिति के केवल तीन सदस्यों ने जांच की थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

XX

XX

XX

यह हमें अंतिम प्रश्न पर लाता है कि क्या उनकी लंबी सेवा को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ता सेवा में नियमितीकरण के हकदार हैं जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उमा देवी (3) मामले में कहा है। (ऊपर)। यह सटीक सवाल था जिसे राम सेवक यादव और अन्न के मामले में पूर्ण पीठ को भेजा गया था। (ऊपर)। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि

उमा देवी (ऊपर) में निर्णय, ऐसी नियुक्तियों के नियमितीकरण को प्रतिबंधित करता है, सेवा की अवधि अप्रासंगिक है और अवैध नियुक्ति को किसी भी अधिनियम के तहत नियमितीकृत नहीं किया जा सकता है।

परिस्थितियाँ। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्धारित कानून। बनाम बिनय कुमार सिंह और अन्य। [2011 (3) पी. एल. जे. आर. 547] अब एक अच्छा कानून नहीं है। वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को बार-बार शुरुआत से ही अवैध या अमान्य माना गया है। पैराग्राफ 44 को लागू करके भी उनकी सेवा को नियमित करने का सवाल

उमा देवी (3) (ऊपर) के मामले में निर्णय नहीं आएगा। "[2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां सबसे पहले इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई थीं।

अश्विनी कुमार। इस न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं की जांच कीः

" 1. क्या 20-बिंदु के एक भाग के रूप में तपेदिक उन्मूलन योजना पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ

कार्यक्रम कानूनी और वैध थे।

2. क्या इन कर्मचारियों की पुष्टि कानूनी रूप से हुई थी

न्यायसंगत है।

3. क्या डॉ. मलिक द्वारा नियुक्त इन सभी 6000 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था।

4. अपीलार्थियों को क्या राहत दी जा सकती है "।

12. निर्धारण के लिए पहले बिंदु के संबंध में, न्यायालय इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि डॉ. ए. ए. मलिक, उप निदेशक, स्वास्थ्य

बिहार सरकार का विभाग, तपेदिक केंद्र का प्रभारी था और फाइलेरिया के सहायक निदेशक के रूप में, 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी

2250 के स्वीकृत पदों के विरुद्ध। इस अदालत ने पाया कि ये सभी

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 3 दिसंबर, 1980 के अलग-अलग सरकारी आदेशों के विपरीत प्रशासनिक प्रक्रिया के सभी मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ भर्तियां मनमानी, मज़बूत, अमान्य थीं। 25 मार्च, 1983 के प्रस्ताव पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने कर्मचारियों द्वारा सेवा की निरंतरता का दावा करने के लिए भरोसा किया, जो निम्नानुसार हैः

ऐसे कर्मचारी। डॉ. मलिक अपने निजी प्रतिष्ठान में इन कर्मचारियों को नियुक्तियां नहीं दे रहे थे। वह उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में भर्ती कर रहे थे जो नियोजित द्वारा समर्थित था। व्यय। लोक सेवाओं में इस तरह की भर्ती इस तरह से नहीं की जा सकती थी कि डॉ. मलिक द्वारा की गई हो। दुर्भाग्य से डॉ. मलिक ने इस योजना का इलाज किया।

उसकी निजी संपत्ति के रूप में। उनके द्वारा अपनाया गया उपकरण कानून द्वारा ज्ञात प्रशासनिक प्रक्रिया के सभी मानदंडों का घोर उल्लंघन था। इस संबंध में हम लाभप्रद रूप से सरकारी आदेश दिनांक 3-12-1980 का उल्लेख कर सकते हैं। यह विवाद में नहीं है कि इनमें से किसी भी निर्देश और कक्षा III और कक्षा IV के कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन डॉ. मलिक ने किया था, जबकि स्टेट ऑफ बिहार एंड ओआरएस।

वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

तपेदिक उन्मूलन योजना में प्रारंभिक चरण में तदर्थ/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती, जिनके द्वारा पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षण किया जाता है

उसे..

लेकिन संकल्प ही इंगित करता है कि भर्ती चयन समिति द्वारा की जाने वाली नियमित नियुक्तियों के लिए होनी थी मलेरिया, फाइलेरिया और टी. बी. कार्यक्रम के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए। इसलिए, भर्ती नियमित रूप से की जानी थी।

उपलब्ध पदों के खिलाफ तरीका। इसने कभी भी डॉ. मलिक को नए पद बनाने और उन पर भर्ती करने की पूरी शक्ति नहीं दी, जिन्हें मंजूरी नहीं दी गई थी। न ही इसने ऐसे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया को हवा में फेंकने और अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से भर्ती करने का कोई अधिकार दिया। यह संकल्प कहीं भी नहीं

यह इंगित करता है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने वाले पहले के सरकारी आदेश

उन्हें अनुमति दी जानी थी। नतीजतन, 25-3 1983 के प्रस्ताव को 3 12-1980 के सरकारी आदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह स्वयंसिद्ध है कि जब तक कोई रिक्ति नहीं है, इसे भरने का कोई सवाल ही नहीं है। बिना किसी रिक्ति या पद के कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता है जिस पर वह काम कर सकता है और जिसे बजटीय मंजूरी के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि डॉ. मलिक द्वारा तपेदिक उन्मूलन योजना में की गई 6000 कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रत्यक्ष रूप से अवैध थीं। चूँकि वे सभी मान्यता प्राप्त भर्ती प्रक्रियाओं के विपरीत थे और अत्यधिक मनमाने थे, वे बिहार राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं थे। इसलिए, निर्धारण के लिए पहले बिंदु का उत्तर नकारात्मक में देना होगा।

13. दूसरे बिंदु के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि प्रारंभिक प्रविष्टि अनधिकृत है और वह नियुक्ति स्वीकृत साइ के खिलाफ नहीं है, तो सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न कभी भी विचार के लिए नहीं होगा। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 13. ..... लेकिन अगर प्रारंभिक प्रविष्टि स्वयं अनधिकृत है और किसी भी स्वीकृत रिक्ति के खिलाफ नहीं है, तो इसे नियमित करने का सवाल है। ऐसी गैर-मौजूदा रिक्ति पर पदधारी कभी भी विचार के लिए जीवित नहीं रहेगा और भले ही ऐसा कथित नियमितीकरण या

पुष्टि दी जाती है कि यह निरर्थकता में एक अभ्यास होगा। यह एक अभी पैदा हुए बच्चे को सजाने के बराबर होगा। इन परिस्थितियों में उन्हें नियमित करने या उन्हें वैध [2019] 15 एस. सी. आर. देने का कोई अवसर नहीं था।

पुष्टि। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं जब प्रारंभिक

जहां तक इन दिहाड़ी मजदूरों का संबंध है, डॉ. मलिक द्वारा नियुक्तियां अवैध थीं, ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं था और न ही उन्हें कोई अधिकार दिया गया था क्योंकि योजना के तहत उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों पर उनकी पुष्टि नहीं की गई थी। यह किसी की समझ से परे है कि कैसे 2500 स्वीकृत रिक्तियों के खिलाफ 6000 कर्मचारियों को पुष्टि दी जा सकती थी। पूरा अभ्यास एक अनधिकृत साहसिक कार्य के दायरे में रहा। शून्य से कुछ भी नहीं निकल सकता था। निहिलो निहिल फिट हैं। शून्य को शून्य से गुणा करने पर शून्य बना रहता है।

14. सी. ई. एस. के नियमितीकरण की मांग के तर्क पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 14. इस संबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि किसी भी सरकारी सेवा सहित किसी भी सेवा में नियमितीकरण

यह दो आकस्मिकताओं में उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले, यदि किसी भी उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों पर, जो लंबी अवधि की हैं, नियुक्तियां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदर्थ आधार या दैनिक वेतन के आधार पर की जाती हैं और

समय-समय पर जारी रखा जाता है और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित पदाधिकारी लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं

ऐसी प्रविष्टि को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम। ..... लेकिन ऐसे मामले में भी प्रारंभिक प्रविष्टि को पूरी तरह से अवैध या ऐसी भर्ती को नियंत्रित करने वाले सभी स्थापित नियमों और विनियमों की घोर अवहेलना नहीं पाया जाना चाहिए। किसी भी मामले में ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए पिछले दरवाजे से प्रविष्टियों से सख्ती से बचना होगा। हालाँकि, ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने का कोई अवसर कभी नहीं आएगा, जिसकी प्रारंभिक प्रविष्टि ही दूषित है और भर्ती की आवश्यक प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन करती है और विशेष रूप से जब ऐसी कोई रिक्ति नहीं है जिस पर उम्मीदवार की प्रारंभिक प्रविष्टि कभी भी प्रभावित हो सकती है।

स्टेट ऑफ बिहार एंड ओआरएस की ऐसी प्रविष्टि। वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

सेवाएँ। इसके विपरीत डॉ. मलिक द्वारा 6000 कर्मचारियों की इस सेना को इस योजना के तहत लाकर बनाए गए सभी जाल-जाल थे। लॉक, स्टॉक और बैरल को साफ किया जाना चाहिए ताकि सरकारी प्रशासन में जनता का विश्वास टूट न जाए और मनमाना न हो

कर्म पवित्र नहीं होंगे। "

15. विचार के लिए तीसरा बिंदु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में था। इस न्यायालय ने पाया कि 3750 तक

उम्मीदवारों को पूरी तरह से अनधिकृत तरीके से नियुक्त किया गया था और वे गैर-मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ बैठे थे। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें अस्तबल को साफ करने और इन दूषित भर्तियों के बुरे प्रभावों को खत्म करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी ताकि तपेदिक उन्मूलन योजना को एक ठोस आधार पर रखा जा सके। उच्च न्यायालय ने राज्य को पूरी तरह से जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया था

पूरा मामला। ऐसी समिति ने सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। 987 उम्मीदवार समिति के समक्ष उपस्थित हुए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को लिया गया था

विचार और फिर समिति इस प्रभाव पर एक दृढ़ निर्णय पर पहुंची कि डॉ. मलिक द्वारा की गई इन सभी नियुक्तियों को शुरुआत से ही दूषित कर दिया गया था और उन्हें अलग करने की आवश्यकता थी और इस तरह अपीलार्थियों के खिलाफ विवादित समाप्ति आदेश पारित किए गए थे। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि संबंधित कर्मचारियों को अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया।

उनकी नियुक्तियों से पहले का मामला वापस ले लिया गया और समाप्त कर दिया गया।

16. हालांकि, बिंदु संख्या 4 का जवाब देते हुए, राज्य को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक नई कवायद शुरू करने का निर्देश दिया गया था

उपलब्ध 2250 रिक्तियों या उससे भी अधिक रिक्तियों के विरुद्ध। दूसरे दौर के मामलों की शुरुआत पुरेंद्र सुलान किट में उच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में गठित राज्य समिति की रिपोर्ट से हुई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. जब 3 अप्रैल, 2018 को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए अपीलों का वर्तमान सेट आया, तो इस अदालत ने निम्नलिखित चार श्रेणियों को पाया

वहः

" (i) जाली नियुक्ति पत्र के आधार पर की गई नियुक्तियाँ। वे S.Nos पर हैं। 2 48 तक।

((ii) जाली नर्सिंग पंजीकरण के आधार पर नियुक्तियाँ

प्रमाण पत्र। वे एस. नं. में हैं। 49-50-51 .

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्तियाँ जो नियुक्ति करने के लिए सक्षम नहीं था। वे S.Nos पर हैं। 52 92 तक।

(iv) एस. एन. ओ. 1 में एक अवशिष्ट श्रेणी है अर्थात डॉ. ए. ए. मलिक, डिप्टी कमिश्नर द्वारा की गई नियुक्ति। निदेशक, टी. बी. और एस. नं. 93 & 94 जो अब नियुक्ति का दावा कर रहे हैं। उनके मामलों को सेपा के साथ निपटा जाएगा। धीरे-धीरे "।

18. मामलों की पहली श्रेणी का फैसला 30 नवंबर, 2018 को तीन न्यायाधीशों की पीठ नारायण प्रसाद द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि

:

" 17. तत्काल मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं ने उन्हें नियमित करने के लिए एक विशिष्ट अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं।

सेवा और उनकी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को अलग करना। उन्होंने राज्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी चुनौती दी है

समिति। वास्तविक विवाद यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं को कानूनी और वैध रूप से नियुक्त किया गया था। राज्य की खोज समिति का कहना है कि कई रिट याचिकाकर्ताओं ने नकली या जाली नियुक्ति पत्र पेश करके नियुक्ति हासिल की थी या संबंधित सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करके उन्हें गुप्त रूप से सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। रिट याचिकाकर्ता सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए अवैध आदेशों के लाभार्थी हैं। उन्हें उनकी नियुक्ति की वास्तविकता स्थापित करने और कारण दिखाने के लिए नोटिस दिया गया था। उनमें से कोई भी राज्य समिति के समक्ष अपनी नियुक्ति की वास्तविकता या वैधता को स्थापित नहीं कर सका। अभिलेख पर सामग्री की सराहना पर राज्य समिति ने राय दी है कि उनकी नियुक्ति अवैध थी और शुरुआत से ही अमान्य थी। हमें बिहार राज्य और ओ. आर. एस. के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं मिलता है।

वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

समिति। इन परिस्थितियों में नियमितीकरण का सवाल है।

उमादेवी (ऊपर) में निर्णय के पैरा 53 को लागू करके उनकी सेवाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शुरू से ही अमान्य है, इसलिए उन्हें राज्य का सिविल सेवक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 311 या किसी अन्य अनुशासनात्मक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

वह नहीं उठेगा। "

19. दूसरी श्रेणी यानी जाली नर्सिंग पंजीकरण के आधार पर नियुक्ति के मामले श्रेणी के समान ही हैं।

पद्मी का 1 0 10 कोर्स जाली पाया गया। राज्य समिति ने पाया है कि ए. एन. एम. प्रमाण पत्र जाली प्रमाण पत्र है। भले ही, ए. एन. एम. का प्रमाण पत्र जाली नहीं है जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया है, लेकिन मैट्रिक प्रमाण पत्र को जाली कहा जाता है, तथ्य यह है कि शैक्षिक योग्यता, नर्सिंग पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए एक पूर्व शर्त, जाली पाई गई थी। इसलिए, ए. एन. एम. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए जालसाजी बुनियादी पात्रता की स्थिति में है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया को दूषित कर देगी। कीर्ति नारायण प्रसाद में दर्ज कारणों के लिए, सिविल अपील सं। 7906 2019 में, 2019 में 7919 और 2019 में 7920 बर्खास्त किए गए।

20. मामलों की तीसरी श्रेणी पर आते हुए, राज्य के विद्वान वकील श्री मुखर्जी ने अलग सरकारी परिपत्रों का उल्लेख किया

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में दिनांक 3 दिसंबर, 1980। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के परिपत्रों पर नियुक्तियां की गई हैं

इस न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार के मामले में अवैध पाया गया, जो विचार वास्तव में था, बाद में उमा देवी में संविधान पीठ के फैसले द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 33. इस न्यायालय के सभी फैसलों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

गैर-उपलब्ध पदों को नियमित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नियमितीकरण का निर्देश देने वाले मामले मुख्य रूप से आगे बढ़े हैं
इस आधार पर कि कर्मचारी को कुछ अवधि के लिए काम करने की अनुमति दी गई है,

10 लघु के लिए 1 0, 'एएनएम [2019] 15 एस. सी. आर.

वास्तव में इसके लिए कोई कानून बनाए बिना उसे समाहित किया जाना चाहिए।

जनता के लिए संवैधानिक योजना पर चर्चा करने के बाद प्रभाव रोजगार।

XX

XX

XX

53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ

अनियमित नियुक्तियाँ (अवैध नियुक्तियाँ नहीं) जैसा कि में समझाया गया है

एस. वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एस. सी. आर. 128 ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1071]

आर. एन. नंजुंडप्पा [(1972) 1 एससीसी 409: (1972) 2 एससीआर 799] और बी. एन. नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507: 1980 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 4: (1979)

3 एस. सी. आर. 937] और उपरोक्त पैरा 15 में निर्दिष्ट, विधिवत योग्य

विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर व्यक्ति बनाए गए होंगे।

और कर्मचारियों ने दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा है।

लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना।

ऐसी सेवाओं के नियमितीकरण का प्रश्न कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर विचार करना पड़ सकता है

उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत-निर्दिष्ट

इस निर्णय के लिए और उसके आलोक में।

(जोर दिया गया)

21. उमा देवी में, यह तर्क कि कर्मचारियों के पास वैध है

जब इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया तो उद्धरणों को अस्वीकार कर दिया गयाः

" 46. ..... इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है यदि इसके निर्णय

प्रशासनिक प्राधिकरण व्यक्ति को इससे वंचित करके प्रभावित करता है

कुछ लाभ या लाभ जो या तो (i) अतीत में उसके पास था

दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति करना जिसे दर्जा दिया गया है जब तक कोई तर्कसंगत कारण नहीं आता, तब तक उसे वापस नहीं लिया जाएगा।

इसे वापस लेने के लिए अस्तित्व में। यह जुड़ाव स्टेट ऑफ बिहार एंड ओआरएस के खिलाफ था।

वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

संवैधानिक योजना। हालांकि, आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग ने नियुक्तियां प्राप्त करने की मांग की

स्थायी किए जाने पर, ऐसा कोई मामला नहीं है कि नियुक्ति के समय कोई वादा किया गया था। ऐसा कोई वादा भी नहीं किया जा सकता था

द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए

धारवाड़ निर्णय के बाद सरकार [(1990) 2 एस. सी. सी. 396: 1990

एससीसी (एल एंड एस) 274: (1990) 12 एटीसी 902: (1990) 1 एससीआर 544]। हालांकि,

एक मामला है कि राज्य ने अतीत में नियमितीकरण किया था

समान रूप से स्थित कर्मचारियों में, तथ्य यह है कि इस तरह के

नियमितीकरण केवल न्यायिक निर्देशों के अनुसार किया गया था, या तो

प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय और कुछ में इस न्यायालय द्वारा मामले।

47. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रोजगार में प्रवेश करता है या मिल जाता है

संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति और नियुक्ति

संबंधित द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन पर आधारित नहीं है

नियम या प्रक्रिया, वह इसके परिणामों से अवगत है

नियुक्ति अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक प्रकृति की हो। इस तरह

एक व्यक्ति वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है

पद में पुष्टि की जा रही है जब पद पर नियुक्ति केवल चयन के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करके की जा सकती है और लोक सेवा के परामर्श से संबंधित मामले

आयोग। इसलिए, वैध अपेक्षा का सिद्धांत अस्थायी, संविदात्मक या सफलतापूर्वक अग्रिम नहीं किया जा सकता है

आकस्मिक कर्मचारी "। 22. राज्य समिति ने सभी नियुक्तियों की जांच की है और

जाली दस्तावेजों और अनियमित के आधार पर निर्धारित नियुक्तियाँ

अभिप्रेरणा। एक बार जब प्रत्येक उम्मीदवार की विरासत की जांच करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और जब इस न्यायालय का निर्णय

अनी कुमार और उमा देवी निर्णायक रूप से प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

सेंट कर्मचारियों, उठाए गए तर्कों पर आगे कोई चर्चा नहीं

डी जीवित रहता है। हालाँकि, चूंकि तर्कों को तीसरी श्रेणी के मामलों में संबोधित किया गया है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्तियाँ।

नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम नहीं था, हम इस पर विचार करेंगे टोपी ऐसी नियुक्तियों का प्रभाव होगा।

23. श्री मुखर्जी, राज्य के विद्वान वकील ने विभिन्न बातों का उल्लेख किया

समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि ऐसे [2019] 15 एस. सी. आर.

श्रेणी की जांच दो समूहों में की जानी चाहिए; एक जहां नियुक्तियां अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थीं; और दूसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियां लेकिन बिना किसी स्वीकृत पद के और सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किए बिना।

24. यह स्वीकार किया जाता है कि परंतुक के संदर्भ में कोई वैधानिक नियम नहीं है

राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की श्रेणियों में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 का। नियुक्ति का मामला कार्यकारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। श्री मुखर्जी ने बिहार स्वास्थ्य नियमावली का उल्लेख किया है। नियमावली का पहला अध्याय राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संगठन और कार्यों से संबंधित है। यह बताया गया कि 1 मई, 1953 से चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को स्वास्थ्य सेवा निदेशक के तहत स्वास्थ्य विभाग नामक एक विभाग में मिला दिया गया था। यह बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक अधीनस्थ चिकित्सा सहित विभाग में सभी गैर-राजपत्रित नियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकरण है।

सेवा करते हैं। निदेशक की सहायता के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक निदेशकों (एम. और सी. एच.) सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक अतिरिक्त निदेशक और तीन उप निदेशक होते हैं। नियमावली का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 2. - मुख्यालय और अधीनस्थ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ कार्यालय।

(क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, बिहार की शक्तियाँ।

3. स्वास्थ्य सेवा निदेशक में नियुक्ति प्राधिकरण है अधीनस्थ चिकित्सा सेवा सहित विभाग में सभी राजपत्रित नियुक्तियों का सम्मान।

6. निम्नलिखित शक्तियाँ स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भी सौंपी गई हैं जो संबंधित विभाग के प्रमुख हैं। संहिताएँ , नियम और आदेशः

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

नियमों का संदर्भ शक्ति की सीमा

नहीं।

शक्ति की प्रकृति

या आदेश

XXX

अनुच्छेद 103,

प्रतिनिधिमण्डल के अधीन है

बदलने की शक्ति

विवरण अर्थात। , की दर

बिहार और उड़ीसा

निम्नलिखित शर्तें:

(1) लागत नहीं होनी चाहिए

वेतन, संख्या

कोषागार नियमावली

हाथ और अवधि

कुल राशि से अधिक जुटाया गया

स्वीकृत किया गया।

का रोजगार

(2) जहाँ अस्थायी

अस्थायी

प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत किया जाता

है

स्थापना।

राज्य सरकार, वेतन

कोई पद नहीं उठाया जाना चाहिए

न्यूनतम सीमा से परे

उसके निर्धारित पैमाने से।

(3) अन्य मामलों में कोई वेतन

नहीं

पद को आगे बढ़ाया जाना चाहिए

द्वारा प्राप्त मंजूरी की सीमा

प्राधिकरण जिसने मंजूरी दी

अस्थायी प्रतिष्ठान।

XXX

के नियम 103 को नियुक्त करने की शक्ति

पूर्ण शक्ति बशर्ते कि ऐसी बिहार सेवा शक्ति केवल

सरकार

कोड रखने के लिए सेवक।

जिन मामलों में वह सक्षम है

मौलिक

अस्थायी रूप से या

एक बनाने के लिए

अधिक में कार्य करें

प्रत्येक के लिए नियुक्ति

ए में एक से अधिक पोस्ट

संबंधित पद।

समय।

25. नियमावली का खंड 7 स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक की शक्तियों पर विचार करता है जबकि खंड 8 स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की शक्तियों से संबंधित है। की शक्तियाँ

स्वास्थ्य सेवा निदेशक खंड 9 में निहित हैं जो

निम्नानुसारः

" 9. निम्नलिखित शक्तियाँ सहायक निदेशक को सौंपी गई हैं। स्वास्थ्य सेवा (प्रशासन), बिहारः

(क) अधीनस्थ कार्यालयों, महालेखाकार, बिहार, बिहार के विभागों के साथ सभी पत्राचार से निपटना और उन पर हस्ताक्षर करना।

उनकी देखरेख में स्वास्थ्य सेवा निदेशक के लिए और उनकी ओर से सरकारी और अन्य कार्यालय।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) राजपत्रित नहीं होने वालों के सभी यात्रा भत्ता बिलों पर प्रति-हस्ताक्षर करना।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधीन कार्यरत कर्मचारी।

(ग) स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कार्यालय में प्राप्त प्रपत्रों और लेखन सामग्री के लिए सभी इंडेंट को पारित करना और काउंटर साइन करना।

मफसिल कार्यालय इस शर्त के अधीन कि कटौती या

5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के लिए मंजूरी की आवश्यकता होनी चाहिए

किसी भी एक वस्तु पर। (सरकारी आदेश सं। 262/एच. डी., दिनांक 13 जुलाई, 1953) "

26. जिलों में सिविल सर्जनों के साथ-साथ राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी निदेशक, टी. बी. प्रदर्शन केंद्र भी निदेशक के अधीनस्थ हैं।

अन्य सेवाएँ। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सहायक निदेशक की शक्तियाँ

एस के तहतः

" 13. सार्वजनिक स्वास्थ्य के सहायक निदेशकों को शक्तियाँ

(अ) • XXX

(ख) XXX

(ग) स्वास्थ्य सहायकों जैसे गैर-राजपत्रित महामारी कर्मचारियों की भर्ती करना।

और स्वीकृत पदों के खिलाफ टीकाकरण करने वालों को उनके संबंधित प्रभागों में अनुमति दी गई। महामारी डॉक्टरों की नियुक्ति आमतौर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की जाएगी, लेकिन आपात स्थिति के मामलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के सहायक निदेशकों को यह अधिकार होगा कि वे

के अनुमोदन के अधीन उन्हें स्वीकृत पदों पर नियुक्त करें

निदेशालय को बाद में तीन महीने के भीतर प्राप्त किया जा रहा है।

(सरकार. ऑर्डर नं. 27680 - एच तिथि 1 नवंबर, 1954) "।

27. राज्य द्वारा 5 सितंबर, 1979 को सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।तदर्थ आधार पर श्रेणी III और IV के अस्थायी पदों पर नियुक्त। इसके बाद, 3 दिसंबर, 1980 को श्रेणी III और IV पदों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अलग-अलग परिपत्र जारी किए गए। सक्षम व्यक्ति का निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए चींटी खंड

: श्रेणी III पदों के संबंध में नियुक्ति निम्नानुसार हैः

" (ख) सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों का सक्षम प्राधिकारी,

जिला कलेक्टर और अन्य विभागों के संभागीय कार्यालयों के समकक्ष अधिकारी प्रभारी से जानकारी एकत्र करेंगे। वर्ष की शुरुआत में वास्तव में वर्ष के दौरान भरे जाने वाले पदों के लिए संलग्न कार्यालय और रिक्तियों की जानकारी। इन आवेदकों में से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा और उपयुक्त व्यक्तियों को सामान्य योग्यता सूची से आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति के लिए विभिन्न संलग्न कार्यालयों में आवंटित किया जाएगा। सभी नियुक्तियां सक्षम द्वारा की जाएंगी।

अपने संबंधित कार्यालयों के लिए प्राधिकरण।

XX

XX

XX

(ई) (i) तैयारी के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में योग्यता सूची और संलग्न प्रतिष्ठान का प्रमुख इस समिति का अध्यक्ष होगा और कोई भी वरिष्ठ अधिकारी समिति का सदस्य होगा, जिसे प्रतिष्ठान के प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा। विभाग में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी होंगे

दूसरा सदस्य। यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है, यदि उस श्रेणी का अधिकारी किसी अन्य विभाग में उपलब्ध है, तो उसे समिति में शामिल किया जाएगा और यदि यह भी संभव नहीं है, तो

फिर ज्वाइंट/डाय। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कार्य करने वाले कार्मिक विभाग के सचिव को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

((ii) जिला स्तर पर योग्यता सूची तैयार करने के लिए,

संबद्ध प्रतिष्ठान गठित चयन समिति का अध्यक्ष होगा और उसका कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रतिष्ठान, जिसे उनके जिला स्तर के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है, इसका सदस्य होगा। दूसरा सदस्य जिला कल्याण होगा।

अधिकारी ताकि रखरखाव के संबंध में सरकारी आदेशों की योग्यता सूची तैयार करते समय कोई उल्लंघन न हो।

XX

XX

XX

(3) सरकार के संज्ञान में आया है कि श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्तियां उपरोक्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की जा रही हैं। निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ काम करने का स्पष्ट रूप से अर्थ है [2019] 15 एस. सी. आर.

सरकारी आदेशों का उल्लंघन, जो खेद का विषय है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि श्रेणी 3 पदों पर नियुक्तियां उपरोक्त में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं।

उल्लिखित संकल्प। यह हर किसी की जिम्मेदारी होगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति करना कि श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाता है। कास्ट में यह है

यह पाया गया कि श्रेणी 3 पदों पर नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो सरकार को उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। सूचना मिलने पर तुरंत जांच की जाएगी। शिकायत है कि अधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और यदि आरोप साबित होता है, तो अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा और उसे सेवाओं से हटाने के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गलत नियुक्तियां होंगी

तुरंत रद्द कर दिया। "

28. इसी तरह का परिपत्र श्रेणी में नियुक्ति के संबंध में है।

ओस्ट। 20 जनवरी, 1992 को राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में एक परिपत्र जारी किया।यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि स्थानांतरण और यथासंभव नियुक्ति अधिकारी की नियुक्ति के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। उक्त परिपत्र की धारा 3 और 6 निम्नानुसार हैः

" 3. स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति अधिकारियों का संक्षेप में उल्लेख नीचे किया गया हैः

(क) सिविल सर्जन-जिला वर्ग III और IV के कर्मचारियों के लिए (नीचे दिए गए)

उच्चतर श्रेणी) और ए. एन. एम.

(ख) अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल-तृतीय श्रेणी के लिए और

IV कर्मचारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात हैं। (ग) राज्य कार्यक्रम अधिकारी (मलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, फेलेरिया) -

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।

प्रसारण प्रशिक्षक, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, डिप्टी कमिश्नर। जिला मास मीडिया अधिकारी, आशुलिपिक, हैजा कार्यकर्ता, विशेष हैजा कार्यकर्ता,

मूवी प्लेयर आदि "। बिहार राज्य और ओ. आर. एस. वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

6. उपरोक्त आधार पर, पहले के सभी आदेशों को हटा दिया जाता है -

निम्नलिखित आदेशः

(क) सिविल सर्जन द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का संवर्ग जिले का होगा। स्तर। इसमें क्षेत्रीय डिप्टी के कर्मचारी शामिल होंगे। निदेशक कार्यालय।

XX

XX

XX

(ज) सिविल सर्जन उन वर्गों का स्थानांतरण/नियुक्ति करेगा।

III और IV कर्मचारी जिनके लिए वे मूल नियुक्ति अधिकारी हैं।

इस तरह का स्थानांतरण और नियुक्ति जिले के भीतर की जाएगी।

29. उपर्युक्त परिपत्रों और सरकार के आधार पर

आदेश, यह तर्क दिया जाता है कि श्रेणी III और श्रेणी IV पदों की नियुक्ति प्राधिकरण निदेशक, स्वास्थ्य सेवा है। हालांकि, कुछ अन्य प्रशासनिक मामलों के संबंध में कुछ प्रतिनिधि मंडल थे, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के खिलाफ नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं था। शर्तों में सहायक निदेशक को प्रदत्त शक्तियाँ

बिहार स्वास्थ्य नियमावली के अध्याय I के खंड 13 (सी) के तहत सहायक निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) को स्वीकृत पदों के लिए स्वास्थ्य सहायकों और टीकाकरणकर्ताओं जैसे गैर-राजपत्रित महामारी कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन केवल आपातकालीन स्थिति में। अश्विनी कुमार में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि 2250

पदों को मंजूरी दी गई और 6000 नियुक्तियां की गईं। 20-बिंदु कार्यक्रम के तहत तपेदिक उन्मूलन एक आपातकालीन गतिविधि नहीं थी जो सहायक निदेशक को ऐसा करने के लिए सशक्त बना सकती है

बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ लेकिन फिर से ऐसी आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग केवल स्वीकृत पदों के संबंध में किया जा सकता था।

30. प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अपवाद के साथ आया

3 दिसंबर, 1980 का परिपत्र जिसमें विचार किया गया था कि सचिवालय और संलग्न कार्यालयों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सामान्य योग्यता सूची से आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाए;

कलेक्टर और मंडल कार्यालयों के प्रभारी समकक्ष अधिकारी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में उप निदेशक डॉ. मलिक उनके खिलाफ नियुक्तियां करने में सक्षम नहीं थे।

नियमावली के प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा अश्वनी कुमार में भी दर्ज 3 दिसंबर, 1980 के परिपत्र के संदर्भ में श्रेणी III या श्रेणी IV के पद।

31. हालांकि, कुछ नियुक्तियां सिविल द्वारा की गई हैं।

सर्जन जिनका श्री मुखर्जी विवाद नहीं करते हैं क्योंकि वे सक्षम प्राधिकारी थे, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि [2019] 15 एस. सी. आर. को भरने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक पद का पालन किया गया। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी स्वीकृत पद के सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां की गईं।

32. कर्मचारियों के विद्वान वकील की ओर से यह तर्क दिया गया कि कुछ नियुक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की गई हैं।

सहायक निदेशक के चार पदों के रूप में उप निदेशक को क्षेत्रीय उप निदेशक के पद में परिवर्तित कर दिया गया। हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। सहायक निदेशक का पद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्रदान किया गया था, जिसमें मामले को छोड़कर नियुक्ति का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं था।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध आपातकाल। ऐसे क्षेत्रीय उप निदेशक को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए, सहायक निदेशक आकस्मिक मामलों को छोड़कर स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां करने में अक्षम थे और क्षेत्रीय उप निदेशक भी।

33. अश्विनी कुमार के मामले में, इस न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के खिलाफ की गई नियुक्तियों पर विचार किया है

स्वयं। उसमें अभिलिखित तर्क यह है कि नियुक्तियों में

यह साबित किया गया है कि यह स्वीकृत पदों के खिलाफ नहीं है और इस तरह से, जो पूरी तरह से मनमाना, मनमौजी है और इसलिए, कर्मचारियों को अपनी सेवाओं को नियमित करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

34. 2012 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 20033 से उत्पन्न सिविल अपील में, प्रतिवादी को डॉ. ए. ए. मलिक द्वारा नियुक्त किया गया था। ऐसी नियुक्तियाँ

अश्विनी कुमार के मामले में इस अदालत द्वारा अवैध पाया गया है। हम पाते हैं कि डॉ. ए. ए. मलिक द्वारा की गई नियुक्तियों की फिर से जांच करने का कोई कारण नहीं है। अश्विनी कुमार के मामले में ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। अतः प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं होगा। नतीजतन, 2012 की एसएलपी (सिविल) संख्या 20033 से उत्पन्न अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्धारित किया जाता है।

एक तरफ।

35. अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ 25 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, इसलिए, बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि वे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार बन सकें।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

36. हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। रीता मिश्रा और अन्य में उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ। वी. निदेशक, प्राथमिक

शिक्षा, बिहार और अन्य "। 1 में नियुक्ति से निपटने के दौरान

इस तथ्य के बावजूद कि नियुक्ति पत्र जाली, धोखाधड़ी या अवैध था, शिक्षा विभाग ने वेतन का दावा करते हुए इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया। यह.

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वेतन का अधिकार उस पद को वैध रूप से धारण करने के कानूनी अधिकार से उत्पन्न होता है जिसके लिए वेतन का दावा किया जाता है। यह ऐसे पद पर वैध नियुक्ति के परिणामस्वरूप एक अधिकार है। इसलिए, जहां मूल अस्तित्वहीन है, वहां उसकी कोई शाखा नहीं रह सकती है।

पद पर नियुक्ति। एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति ही अवैध है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकारों के लिए कोई वैधानिक पात्रता उत्पन्न नहीं हो सकती है। 37. पूर्ण पीठ के इस तरह के फैसले को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम रिपोर्ट किए गए एक फैसले में मंजूरी दी थी।

केरल राज्य & Ors.[1]2। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने रीता मिश्रा बनाम मामले में इस बिंदु की फिर से जांच की। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार [ए. आई. आर. 1988 पैट 26: 1988 लैब आईसी 907: 1987 बीबीसीजे 701 (एफबी)]। पूर्ण पीठ के समक्ष यह सवाल उठाया गया था कि क्या कोई लोक सेवक इस तथ्य के बावजूद किए गए काम के लिए उसे वेतन देने का हकदार है कि उसका नियुक्ति पत्र जाली, धोखाधड़ी या अवैध था। पूर्ण पीठ ने कहाः (एयर पी। 32, पैरा 13)

" 13. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार लोक सेवा में पूरी तरह से वैधानिक प्रकृति के हैं। इसलिए, वेतन के अधिकार सहित ये अधिकार पद पर एक वैध और कानूनी नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं। एक बार जब यह पाया जाता है कि नियुक्ति ही अवैध है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है, तो वेतन या पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों के परिणामी अधिकारों के लिए कोई वैधानिक पात्रता उत्पन्न नहीं हो सकती है। विशेष रूप से, यदि बहुत नियुक्ति पर आराम किया जाता है

जालसाजी, इससे कोई वैधानिक अधिकार नहीं निकल सकता है।

11 आकाशवाणी 1988 पटना 26 1 2 (2004) 2 एस. सी. सी. 105 [2019] 15 एस. सी. आर.

18. हम पटना उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं

उपरोक्त मामले "।

38. नियुक्तियों की जाँच पाँच सदस्यीय समिति द्वारा की गई है। 91 उम्मीदवार अनियमित पाए गए हैं

नियुक्ति। ऐसे उम्मीदवार सेवा में बने हुए हैं। अपीलों के वर्तमान समूह में से कोई भी उम्मीदवार यह इंगित नहीं कर सका कि उन्हें सार्वजनिक नियुक्ति के खाली पद को भरने के लिए विज्ञापन द्वारा और सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर देकर नियुक्त किया गया था।

39. झारखंड राज्य में यह न्यायालय और अन्य। वी. मानशु

कुम्भकार 1 3, राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए पाया कि प्रतिवादी को रोजगार विनिमय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। कोई विज्ञापन नहीं था और चयन करने के लिए कोई उचित रूप से गठित समिति भी नहीं थी। 40. बिहार राज्य बनाम में यह न्यायालय। उपेंद्र नारायण सिंह और Ors.[1]4 14 ने राज्य की अपील और रोजगार की धारा 4 को स्वीकार कर लिया।

विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र या उसके एक हिस्से में प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोक्ता पर एक कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक रिक्ति को भरने से पहले रोजगार कार्यालय को सूचित करे।

41. भारत संघ और ए. एन. आर. में यह न्यायालय। वी. रघुवर पाल सिंह 1 5

प्रत्यर्थी को जारी नियुक्ति पत्र, निरर्थकता का मामला होगा या केवल अनियमितता का? यदि यह अयोग्यता का मामला है, तो पदधारी को अवसर देना केवल एक औपचारिकता होगी और अवसर न देना उसकी सेवाओं को समाप्त करने के अंतिम निर्णय को दूषित नहीं कर सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अभाव में, निदेशक प्रभारी नियुक्ति पत्र जारी करने में जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। प्रभारी निदेशक को नियुक्त करने और हटाने का कार्य

इसलिए, अधिकार की कमी और कानून में निरर्थकता के दोष से पीड़ित होगा।

42. निधि कैम और अन्न में। वी. मध्य प्रदेश राज्य और Ors.[1]6 16, तीन न्यायाधीशों की पीठ एमबीबीएस में छात्रों के प्रवेश पर विचार कर रही थी

13 (2007) 8 एससीसी 249 1 4 (2009) 5 एस. सी. सी 65

1.5 (2018) 15 एस. सी. सी. 463

1 6 (2017) 4 एस. सी. सी. 1 बिहार और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

अवैध और अनुचित प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर। न्यायालय निम्नानुसार हैः

" 92. ..... उपरोक्त पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद

प्रस्तुत करते हुए, हमारा विचार है कि अधिकार प्रदान करना

या अपीलार्थियों पर लाभ, जिन्होंने सचेत रूप से भाग लिया था

एक अच्छी तरह से सोचा गया, और सावधानीपूर्वक व्यवस्थित योजना,

एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम, "के कारण का समर्थन करने के बराबर होगा अनुचित "। ऐसा लगता है कि किसी चोर को चोरी की चीज़ को अपने पास रखने दिया जाए।

संपत्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय इसका समर्थन नहीं कर रहा था

उन लोगों का कारण जिन्होंने उचित साधनों को अपनाया और उनका पालन किया।

इस तरह का पाठ्यक्रम लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा

स्वयं न्याय-वितरण प्रणाली। में अधिकारिता का प्रयोग

अपीलार्थियों की ओर से सुझाया गया तरीका निश्चित रूप से होगा

अपवित्र लोगों के पक्ष में न्यायालय के समर्थन को चित्रित करें। यह होगा।

शैक्षणिक समुदाय की अखंडता से भी समझौता करता है। हम.

उनका विचार है कि पूर्ण न्याय करने के नाम पर ऐसा नहीं है

इस न्यायालय के लिए दूषित कार्यों का समर्थन करना संभव है

अपीलार्थी जिनके माध्यम से उन्होंने एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त किया

बेशक।

XX

XX

XX

94. ..... उन स्थितियों में भी जहाँ एक किशोर अपराध में लिप्त होता है, वह मुकदमे का सामना करना पड़ता है, और अभिनिर्धारित वैधानिक के अधीन होता है

परिणाम। कानून के परिणाम होते हैं। और इसके परिणाम

कानून का कोई अपवाद नहीं है। इस मामले में अपीलार्थी, भले ही अपनी उम्र के अनुसार, वे प्रवेश की नियमित प्रक्रिया के प्रति सचेत थे।

उन्होंने कुटिल तरीकों से इसका उल्लंघन किया। इसलिए उन्हें यह करना चाहिए कि

उनके कार्यों के परिणाम भुगतें। यह पहली बार नहीं है।

कि छलपूर्ण तरीकों से प्राप्त प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे।

गलत प्रवेश। द्वारा की गई प्रार्थना की स्वीकृति उनके द्वारा सुझाए गए मापदंड पर अपीलकर्ताओं का परिणाम होगा -

इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में निर्णयों की अनदेखी करना। गोद लेना।

एक अलग पाठ्यक्रम के, अपीलार्थियों के लिए, तुच्छ होगा

घोषित कानूनी स्थिति। इस संबंध में संदर्भ दिया जा सकता है -

विद्वान वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया व्यापमं।

XX

XX

XX

XX

XX

XX

108. ..... हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह

अपीलार्थियों के प्रवेश को वैध बनाना उचित नहीं होगा।

इस में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय। इसलिए हम अपीलार्थियों की ओर से की गई उपरोक्त प्रार्थना को अस्वीकार कर दें।

43. अध्यक्ष और अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में

वृद्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और अन्य। वी. जगदीश

राम बहिरा और ओआरएस "। , न्यायालय परिणाम की जाँच कर रहा था

नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत ने कहा कि

देरः

" 69. इन कारणों से, हम मानते हैं और घोषणा करते हैं किः

XX

XX

XX

69.3 आर. विश्वनाथ पिल्लई में इस न्यायालय के निर्णय [आर.

विश्वनाथ पिल्लई बनाम। केरल राज्य (2004) 2 एस. सी. सी. 105: 2004 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 350] और दत्तात्रेय में [भारत संघ बनाम। दत्तात्रेय,

(2008) 4 एससीसी 612: (2008) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 6] जो प्रस्तुत किए गए थे

तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा कानून का सिद्धांत निर्धारित किया गया कि जहाँ एक व्यक्ति द्वारा एक लाभ सुरक्षित किया जाता है-जैसे कि एक नियुक्ति

कि उम्मीदवार एक आरक्षित श्रेणी से संबंधित है जिसके लिए लाभ आरक्षित है, जाति या जनजाति के दावे को अमान्य कर दिया गया है

सत्यापन के बाद नियुक्ति होगी या, जैसा भी मामला है हो सकता है कि प्रवेश को अमान्य या गैर-स्थायी घोषित किया जा रहा हो।

XX

XX

XX

69.7 जाति के दावे के आधार पर प्राप्त लाभों की वापसी

जो गलत पाया गया है और अमान्य है, वह आवश्यक है।

परिणाम जो जाति के दावे के अमान्य होने से आता है

और पूर्वव्यापीता का कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं होगा; "

44. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि

अपीलों के वर्तमान सेट में कर्मचारियों का इरादा अनियमित इरादे थे। इस तरह की नियुक्तियां अवैध नियुक्तियां हैं -

उमा देवी में उच्चतम न्यायालय के फैसले का संदर्भ। इस तरह की नियुक्तियाँ

7) 8 एस. सी. सी. 670 बिहार और ओ. आर. एस. का राज्य। वी. देवेंद्र शर्मा [हेमंत गुप्ता, जे.]

45. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम पाते हैं कि 12 जुलाई, 2011 के आदेश या उच्च न्यायालय द्वारा पारित इसी तरह के अन्य आदेशों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। राज्य द्वारा दायर अपीलों की अनुमति है।46. हम 24 सितंबर, 2014 के उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और इसलिए, ऐसे आदेश के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन